



भारत सरकार  
Government of India  
खान मंत्रालय  
Ministry of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो  
Indian Bureau of Mines

माखुपूरा औद्योगिक क्षेत्र,  
Makhupura, Industrial Area  
अजमेर-305 002 (राजस्थान)  
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

संख्या : राज/SRH-7/Lst.-7

दिनांक : 20.10.2016

प्रेषित : Mines Agent, Amlu limestone mine,  
M/S Binani Cement Ltd.  
P O –Binanigram-307031,  
Ditt-Sirohi, (राजस्थान),  
(E-mail:bcl@binanicement.co.in)

विषय : राजस्थान राज्य के Sirohi जिले में स्थित आपकी Amlu Limestone खान क्षेत्रफल 468.6875 हैक्टेयर (एम.एल.स 06/94)में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15/09/2016 को किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
13(1)	Mining operations are not being carried out in accordance with the scheme of mining approved vide letter no584(6)(3)(406)/2012-RCM-AJM dated 04/09/2012 to the extent indicated below (i)As per para 4.3 of approved mining scheme the waste dumps created during mining operation are proposed to be stabilized by constructing of garland drain around dumps. but it was observed during inspection that existing waste dumps have not been suitably stabilized. (ii)As per para 9.0 of approved mining scheme in the year 2015-16 a total of 1000 saplings covering 0.625 hect. area were proposed to be planted for creation of green belt in the lease area, but the plantation as per the proposal has not been carried out.
23E(2)	The annual compliance report (2015-16) of the work in mine actually carried out vis – a – vis to the proposals of approved progressive mine closure plan for mineral conservation & mine rehabilitation required to be submitted up to 1 July 2016 to the Regional Controller has not been submitted till date.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 नियम 13(2) के अन्तर्गत

(क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

( एन. एल. रोट )  
सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं/प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर
- 2 खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, Sirohi.

सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो